न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–106 / 2022

1. श्री शिव कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासी ग्राम सावलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।

वादीगण,

बनाम

1. मुरारी लाल पुत्र छगन
2. कमला पत्नि छगन
3. नौरंग लाल पुत्र छगन
4. ग्यारसी देवी पुत्री छगन
5. रूकमणी पुत्री छगन
6. केशर देवी पत्नि मूलचन्द
7. सुरजमल पुत्र मूलचन्द
8. सोहनी देवी पत्नि जवाहरा
9. पार्वती देवी पत्नि जवाहरा
10. मालियागिरी पुत्री जवाहरा
11. मोहनी देवी पुत्री जवाहरा
12. हरिनारायण पुत्र जवाहरा
13. पूर्णमल पुत्र जवाहरा
14. अशोक कुमार पुत्र सीताराम
15. ग्यारसी देवी पत्नि सीताराम
16. तारा देवी पुत्री सीताराम
17. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम
18. सन्तरा देवी पुत्री सीताराम
19. सुशीला देवी पुत्री सीताराम
20. गोरू राम पुत्र टोडा
21. जगनाराम पुत्र तनसुख
22. दुर्गा पत्नि भगवाना
23. राजेन्द्र पुत्र भगवाना
24. दीनदयाल पुत्र गणपतराम
25. बजरंग लाल पुत्र गणपतराम
26. सावित्री देवी पत्नि गणपतराम
27. बनारसी देवी पत्नि केशरदेव
28. बाबू लाल पुत्र केशरदेव
29. भंवरलाल पुत्र केशरदेव
30. शारदा देवी पुत्री केशरदेव
31. सन्तोष देवी पुत्री केशरदेव
32. संम्पति देवी पुत्री केशरदेव

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

3. सुलोचनी देवी पुत्री केशरदेव
4. भगवानी देवी पत्नि स्व. सागरमल
35. कैलाश पुत्र स्व. सागरमल
36. सुखा पुत्र स्व. सागरमल
37. बिमला पुत्री परमानन्द

समस्त जाति खाती निवासी ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।

38. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार, धोद जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बेरवाल, वकील वादी की ओर से।
2. श्री दीनानाथ शर्मा ,वकील प्रति0 संख्या 6, 7, 21, 24, 25 व 26 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा, अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88, 188

:*निर्णयः* दिनांकः–24.05.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से कि वादी ने विभाजन हेतु मुख्य अनुतोष प्राप्त के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया जो कि राजस्व ग्राम सांवलोदा धायलान पटवार हल्का सांवलोदा धायलान तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं 198 रकबा 0.5900 है0, खसरा नं 199 रकबा 0.4500 है0, खसरा नं 200 रकबा 0.5100 है0, खसरा नं 201 रकबा 0.5700 है0 खसरा नं 310 रकबा 0.0700 है0 खसरा नं 311 रकबा 0.0500 है0 खसरा नं 312 रकबा 0.0600 है0 खसरा नं 313 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 8 रकबा 2.3300 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 37 की सह खातेदारी भूमि है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 37 में मध्य बाहमी विभाजन कर रखा हैं किन्तु राजस्व नक्शे व खतौनी में वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी एवं प्रतिवादी में आपसी विवाद उत्पन्न होने की संभावानएं बनी रहती है। प्रतिवादी संख्या 34, 35, 36 को खातेदार सागरमल की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान के नाते पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार भानी पत्नि टोडाराम की मृत्यु हो जाने के कारण वाद–पत्र मे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्यां 1 लगायत 5, 8 लगायत 20, 27 लगायत 33 उक्त जमाबंदी में पहले से खातेदार है जो कि पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 37 मौके पर अपनी कृषि भूमि का सही सदउपयोग अपनी सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार नही कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इत्यादि।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया। तत्पश्चात् दिनांक 02.12.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सीकर हाल तहसील सीकर ग्रामीण को नियम 18 से 21 की पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में बनाने हेतु निर्देशित किया।

तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/24/165 दिनांक 31/01/2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। जो दिनांक 26/03/2024 को शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सूनी। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तथा तहसीलदार (भू.अ.) सीकर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सहखातेदारान को नोटिस जारी किये है तथा असालतन तामील हुई है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नं 198 रकबा 0.5900 है0, खसरा नं 199 रकबा 0.4500 है0, खसरा नं 200 रकबा 0.5100 है0, खसरा नं 201 रकबा 0.5700 है0 खसरा नं 310 रकबा 0.0700 है0 खसरा नं 311 रकबा 0.0500 है0 खसरा नं 312 रकबा 0.0600 है0 खसरा नं 313 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 8 रकबा 2.3300 है0 राजस्व ग्राम सांवलोदा धायलान पटवार हल्का सांवलोदा धायलान तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 37 की सह खातेदारी भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी पक्षकारान अंकित है जिसका कोई प्रतिवाद नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य किया गया विभाजन को विभाजन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर अंकित कर एवं पृष्ठ संख्या 7 पर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। जिससे न्यायालय संतुष्ट है एवं पक्षकारान भी सहमत है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किया जाने योग्य है।

:आदेशः

परिणामतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर ग्रामीण द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/24/165 दिनांक 31/01/2024 निर्णय एवम् अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर